के आधार पर यह प्रमाणित किया कि किसी भी गाँव अथवा क्षेत्र में केवल वही जाति समूह प्रभुजाति बन पाती है जिसके पास गाँव कि कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भाग पर स्वामित्व हो। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी भू-स्वामित्व परम्परागत प्रभुत्व को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। R.L Sharma ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि "बोकारी गाँव में जाट और गुजर प्रभु जातियाँ है। यहाँ गाँव की सम्पूर्ण 705 एकड़ भूमि है में से 363 एकड़ भूमि पर जाटो का और 200 एकड़ भूमि पर गुजर जाति का स्वामित्व है" नवीन भूमिसुधारों के प्रभाव से भी इन जातियों की शक्ति और प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसी प्रकार मैसूर राज्य के वानगला तथा डेकाना गाँवों में ओक्कलिंगा प्रभु जाति है जिसका गाँव की लगभग 60% कृषि योग्य भूमि पर अधिकार है

(ii) जनसंख्यात्मक शक्ति - प्रभु जाति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार किसी गाँव अथवा क्षेत्र में एक विशेष जाति के सदस्यों की अधिक संख्या होना है। यह आधार परम्परागत ग्रामीण समाज में भी महत्वपूर्ण तथा परन्तु आज के जनतांत्रिक युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। गाँव में जिस जाति-समूह को समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति अधिक संख्या में होते है, उसका स्वाभाविक रूप से अन्य जाति पर प्रभुत्व स्थापित होने लगता है। R.L Sharma ने एक कुर्ग गाँव का अध्ययन करके बताया कि "यहाँ यद्यपि जाट, राजपूत और ब्राह्मण तीन प्रभुत्व जातियाँ है लेकिन इनमें जाट जाति इसलिए 'प्रभु जाति' है क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या गाँव में सबसे अधिक है।

(iii) जातीय संस्तरण में उच्च स्थिति - 'प्रभुजाति' की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रो०